न्यायालय – उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)
पीठासीन अधिकार श्री श्योराम वर्मा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 98/2022

गोमननाथ उर्फ गोविन्दनाथ पुत्र स्व. नानुनाथ उम्र 52 वर्ष जाति सिद्ध निवासी ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

.... वादी

बनाम

1. श्रीमती नोरा देवी पत्नी स्व. नानुनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
2. अणदनाथ पुत्र स्व. नानुनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
3. मालनाथ पुत्र स्व. नानुनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
5. श्रीमान् उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय कातर छोटी तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
6. श्रीमान् शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़, जिला–चूरू (राजस्थान)

.... प्रतिवादीगण..

7. तनानाथ पुत्र स्व. नानुनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

.... गौणप्रतिवादी..

दावा घोषणात्मक, चिर निषेधाज्ञा व विभाजन

उपस्थित :
1. विद्वान अधिवक्ता श्री रामसिंह राठॉड़, श्री अमर सिंह राठौड वादी की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री रजत पाण्डे प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से
3. राज पैरोकार उपस्थित
4. विद्वान श्री महावीर सिंह राठौड़, गौण प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से

लगातार .... 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)
गोमननाथ बनाम नोरा देवी आदि
दावा घोषणात्मक चिर निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक : 8-12-2022

दावे के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि स्वर्गीय नेनुनाथ उर्फ नानुनाथ वल्द स्वर्गीय मुकननाथ कौम सिद्ध निवासीगण ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू के नाम खेत खसरा नम्बर 334 तादादी 1 बीघा 15 बिस्वा (0.4426 हेक्टेयर), खसरा नम्बर 343 तादादी 74 बीघा 15 बिस्वा (18.9064 हेक्टेयर), खसरा नम्बर 357 तादादी 2 बिस्वा (0. 0253हेक्टेयर), खसरा नम्बर 359 तादादी 10 बिस्वा (0.1265 हेक्टेयर) कुल तादादी 77 बीघा 2 बिस्वा (19.5008 हेक्टेयर) वाके रोही ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू में उनके पूर्वजों के वक्त से ही खातेदारी कब्जा काश्त में चलती रही थी। स्वर्गीय नेनूनाथ उर्फ नानूनाथ का दिनांक 25.04.2011 को स्वर्गवास हो गया था। स्वर्गीय नेनूनाथ उर्फ नानूनाथ ने अपने जीवनकाल में खेत खसरा नम्बर 208 तादादी 17 बीघा 03 बिस्वा वाके रोही ऊंटालड़ की भूमि अपनी स्वयं की स्वअर्जित अन्य से खरीदकर अपने पुत्र गौणप्रतिवादी संख्या 7 तनानाथ के नाम से रजिस्ट्री करवाई थी। भूमि खरीद के वक्त तनानाथ नाबालिक था। तथा परिवार शामलाति था। इस प्रकार नेनूनाथ उर्फ नानूनाथ की कुल 95 बीघा 5 बिस्वा (23.8385 हेक्टेयर) भूमि थी। नानूनाथ के स्वर्गवास के बाद वादगत सम्पूर्ण भूमि में उसके वारिसान वादी, गौण प्रतिवादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व उसकी पुत्रियों सोना व हिराँ के नाम से हिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई र्थी। सोना व हिरा ने अपने हिस्से-पांति की सम्पूर्ण 1/7 व 1/7 हिस्सा भूमि का हक त्याग वादी व प्रतिवादी सं 2 व 3 व गौणप्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में दिनांक 10.08. 2011 को बहिस्सा बराबर कर दिया था उसके पश्चात् वादगत भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में 3/14, 3/14, 3/14 हिस्सा दर्ज हो गई। प्रतिवादी संख्या 1 नोरा देवी ने अपने हिस्सा पांति की सम्पूर्ण 1/7 हिस्सा भूमि का विधि विरूद्ध हकत्याग दिनांक 31.10.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम से कर दिया जबकि वादगत भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 नोरा देवी द्वारा किया गया हक त्याग कानूनी दृष्टि से उसके सभी वारीशान वादी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 व गौण प्रतिवादी संख्या 7 के नाम से बहिस्सा बराबर करना चाहिए था। क्योंकि पैतृक भूमि का केवल एक विशिष्ठ सहखातेदार के पक्ष में अन्य सह-खातेदारान को छोड़कर कानूनन हकत्याग नहीं किया जा सकता है। वादी ने दिनांक 04.11.2022 को उक्त गैर-कानूनी तरीके से किए गए हकत्याग को निरस्त करवाने बाबत व खातेदारी विभाजन बाबत प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया जिस पर वादी ने घोषणात्मक वाद चिर निषेधाज्ञा व विभाजन का दावा पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

लगातार .... 3 पर

Scanned by CamScanner

दावा रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण स्वयं एवं जरिये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित आये तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व गौणप्रतिवादी संख्या 7 ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 07.12.2022 को राजीनामा पेश किया। उक्त राजीनामा न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया व राजीनामा के आधार पर डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने जमाबन्दी खेत खसरा नम्बर 334, 343, 357, 359, प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2,, नामान्तरण प्रदर्श 3 व हकत्याग प्रदर्श 4, जमाबन्दी खेत खसरा नम्बर 208 प्रदर्श 5 व नजरी नक्शा प्रदर्श 6, दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये तथा मौखिक साक्ष्य में वादी स्वयं के पीडब्ल्यू 1 गोमननाथ के बयान दर्ज किए गए।

बहस अंतिम सुनी गई वादी के अधिवक्ता ने दावा मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान के आपस मे राजीनामा हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1 नोरा देवी द्वारा जो हकत्याग प्रतिवादी संख्या 2 अणदनाथ व प्रतिवादी संख्या 3 मालनाथ के पक्ष में किया गया था को पक्षकारान ने राजीनामा के मुताबिक निरस्त घोषित करने का कथन किया है तथा उक्त हकत्याग दिनांक 31.10.2022 को वादी व गौणप्रतिवादी संख्या 7 के हक–हिस्सा भूमि तक कानूनी दृष्टि से निरस्त किए जाने योग्य है। सह–खातेदार में से एक विशिष्ट सहखातेदार के पक्ष में पैतृक भूमि का हकत्याग कानूनन नहीं किया जा सकता। हकत्याग विधि विरूद्ध तरीके से एक विशिष्ट सह–खातेदार के पक्ष में कर दिया गया है, तो भी वो कानूनी की रोशनी में निप्रभ व शून्य है तथा पक्षकारान के आपस में राजीनामा हो जाने के कारण भी पक्षकारान ने उक्त हकत्याग को विधिसंगत नहीं माना है तथा वादी पक्ष ने एक न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2014(1) पेज 509 कमला देवी आदि बनाम चम्पालाल आदि राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान पेश किया और दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। दावे में पक्षकारान द्वारा राजीनामा के साथ नजरी नक्शा पेश किया गया है, उक्त राजीनामा न्यायालय द्वारा दिनांक 7.12.2022 को तस्दीक किया गया है। वादगत भूमि में दस्तावेज हकत्याग प्रदर्श 4 पैतृक भूमि का दिनांक 31.10.2022 को वादीसंख्या 1 नोरा देवी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 अणदनाथ व प्रतिवादी संख्या 3 मालनाथ के पक्ष में किया गया है, उक्त हकत्याग के अवलोकन से विधि सम्मत किया हुआ प्रतीत नहीं होता है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 नोरा देवी के दो संतान वादी गोमननाथ व गौण–प्रतिवादी संख्या 7 तनानाथ मौजूद थे जो वादगत पैतृक भूमि के सह–हिस्सेदार है कानूनी दृष्टि से एक सह–हिस्सेदार द्वारा अन्य सह–हिस्सेदारान को छोड़कर एक विशिष्ट सह–हिस्सेदार के पक्ष में हकत्याग नहीं किया

लगातार .... 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

जा सकता है। वादगत खसरे जात की भूमि पैतृक भूमि है। वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2014(1) पेज 509 कमला देवी आदि बनाम चम्पालाल आदि रेवेन्यू बोर्ड अजमेर राजस्थान का ससम्मान अवलोकन किया। उक्त न्यायिक दृष्टांत में माानीय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान ने यह भी निर्धारित किया है कि एक सह–खातेदार रिलीज डीड के माध्यम से अपना हिस्सा सभी सह–खातेदारों के पक्ष में तो छोड़ सकता है, किसी विशिष्ट एक सह–खातेदार के पक्ष में हकत्याग नहीं कर सकता है। प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी की सहखातेदार नोरा देवी पत्नी नानूनाथ ने अपना सम्पूर्ण 1/7 हिस्सा अपने दो पुत्र अणदनाथ व मालनाथ के पक्ष में रिलीज डीड के माध्यम से छोड़ा गया है जबकि उसके दो पुत्र गोमननाथ व तनानाथ भी विवादित आराजी के सह खातेदार थे इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के परिपेक्ष्य मे व राजीनामा के मुताबिक वादगत भूमि का वादी गोमननाथ व प्रतिवादी संख्या 2 अणदनाथ व प्रतिवादी संख्या 3 मालनाथ तथा गौणप्रतिवादी संख्या 7 तनानाथ को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है तथा दावे में प्रस्तुत राजीनामा में भी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 व गौणप्रतिवादी संख्या 7 ने बहिस्सा बराबर नजरी नक्शा के मुताबिक वादगत भूमि का विभाजन करने का अनुतोष चाहा है। राजीनामा के मुताबिक संलग्न नजरी नक्शा दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित है दावा राजीनामा के मुताबिक संलग्न नजरी के अनुसार डिक्री किया जाता है।

अतः दावा राजीनामा के मुताबिक अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि खेत खसरा संख्या 334 तादादी 1 बीघा 15 बिस्वा (0.4426 हेक्टेयर), खसरा नम्बर 343 तादादी 74 बीघा 15 बिस्वा (18.9064 हेक्टेयर), खसरा नम्बर 357 तादादी 2 बिस्वा (0.0253 हेक्टेयर), खसरा नम्बर 359 तादादी 10 बिस्वा (0.1265 हेक्टेयर), खसरा नम्बर 208 तादादी 17 बीघा 03 बिस्वा (4.3377 हेक्टेयर) कुल तादादी 94 बीघा 5 बिस्वा (23.8385 हेक्टेयर) वाके रोही ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू की भूमि के वादी गोमननाथ उर्फ गोविन्दनाथ, प्रतिवादी संख्या 1 अणदनाथ, प्रतिवादी संख्या 3 मालनाथ व गौणप्रतिवादी संख्या 7 तनानाथ को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। हकत्याग (रिलीज डीड) दिनांकित 31.10.2022 को शून्य व निष्प्रभ घोषित की जाती है। खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 नोरा देवी का नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की भूमि में से हटाये जाने का आदेश दिया जाता है उपर वर्णित संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से पांति में खेत खसरा संख्या 343 मिनतादादी 23 बीघा 11 बिश्वा प्रतिवादी संख्या 2 अणदनाथ के उतरी ओर व़ प्रतिवादी संख्या 3 मालनाथ के दक्षिणी ओर की बीच की हिस्सा भूमि बरंग बैंगनी हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 अणदनाथ के

उपखण्ड अधिकारी

लगातार .... 5 पर

Scanned by CamScanner

हिस्से–पांति मे खेत खसरा नम्बर 343 मिन तादादी 21 बीघा 4 बिस्वा, वादी गोमननाथ के दक्षिणी ओर की व खेत खसरा संख्या 334 तादादी 1 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण, खेत खसरा नम्बर 357 तादादी 2 बिश्वा सम्पूर्ण, व खेत खसरा नम्बर 359 तादादी 10 बिश्वा सम्पूर्ण कुल तादादी 23 बीघा 11 बिश्वा बरंग नीला हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 मालनाथ के हिस्से–पांति में खेत खसरा नम्बर 343 मिन तादादी 23 बीघा 11 बिश्वा गोमननाथ के उतरी ओर व गौणप्रतिवादी संख्या 7 तनानाथ के दक्षिणी ओर की भूमि बरंग हरा हिस्सा व गौण प्रतिवादी संख्या 7 तनानाथ के हिस्से–पांति में खेत खसरा नम्बर 343 मिन तादादी 6 बीघा 9 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 3 मालनाथ के उतरी तरफ की भूमि व खेत खसरा नम्बर 208 तादादी 17 बीघा 3 बिश्वा सम्पूर्ण कुल तादादी 23 बीघा 12 बिस्वा बरंग गुलाबी हिस्सा वाके रोही ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू की भूमि की खातेदारी वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व गौण प्रतिवादी संख्या 7 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रतिवादी संख्या 4 को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व डिक्री के राजस्व रिकॉर्ड में असल दरामद करे। तथा राजस्व रिकॉर्ड के नक्शा में संलग्न नजरीनक्शा के अनुसार तरमीम करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो, खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 8-12-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned by CamScanner